

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलज जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
25/6/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वरुलान- फरीकेन उपस्थित। उभयपक्ष के अभिभाषक की पुनः बहस सुनी गई। दोराने बहस प्रार्थी के अभिभाषक ने निवेदन किया कि विवारित भाराजी खण्ड नं. 1505 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, 1506 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, बाँके ग्राम इलाहापुर तहसील रूपवास घाटौली मौरण सड़क के सहारे स्थित है। उक्त भाराजी गाँव की भावारी के नजदीक है जिसके कुछ हिस्से में मकान व धर्मशाला बनी हुई है। तथा धर्मशाला के पीछे उक्त सड़क के सहारे वाली भूमि को प्राचीगण गौतवाडे के रूप में व गौवर फूडा डालने के काम भी लिये है।</p> <p>अप्राचीगण का प्राचीगण की भाराजी से कोई लेना देना</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>नहीं है। अप्राथमिकता के तहत, तत्काल व राजनैतिक पट्टे वाले व्यक्ति हैं। इसी उम्र की वजह से अप्राथमिकता सरकारी जमीनों पर कृषि करते रहे हैं। पूर्व में करीब 4-5 साल पहले अप्राथमिकता व इनके पूर्वजों ने सरकारी जमीन PWD विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया था जिस पर तत्कालीन सरकार द्वारा LR Act के तहत वेदखत किया गया था। तथा जिसकी अपील भी श्रीमान् मति. जिला क्लर्क महोदय भरतपुर के द्वारा खारिज कर दी गई थी। अप्राथमिकता ने दिनांक 20-7-24 को प्राथमिकता को उक्त आवासी पर कृषि करने की दायि की। अप्राथमिकता अपनी उक्त दायि में सफल हो गये तो प्राथमिकता को भारी नुकसान होगा जिसकी कभी- पूर्ति कपड़े-पैजों से किया जाना संभव नहीं है। प्राथमिकता के अधिकार</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म हुक्म की तारीख में जारी हुए
----------------	--------------------------------	---

पार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अर्पण  
को तर्फेला वाउ तक पावन सिपे  
जाने की मांग की थी.

अर्पण के अभिभाषक  
ने दोरने वदन निवेदन किया कि  
अर्पण ख.नं. 1500/0.2100  
हैब्टेयर मे रिकार्ड्ड खाते डार है  
उक्त आराजी घाटीली - मेरचा रोड  
के डोने तरफ है तथा अर्पण  
डोने तरफ काविण है अर्पण का

पार्थना पत्र मय खर्चा खाविण सिपे  
जाने की मांग की थी.



मेर डारा पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। उभयपक्ष  
के अभिभाषक के तर्कों पर मनन  
किया गया। आराजी ख.नं. 1505  
व 1506 अर्पण की कले कश्त  
एव खाते डारी आराजी है तथा  
अर्पण एव अर्पण की मांग  
मेरचा रोड के डोने एव अर्पण  
दिशा मे विपत है ऐसी स्थिति  
मे अर्पण के पक्ष मे पारभाषकी

दालत उप  
.....  
कदमा  
ब

गजेन्द्रसिंह वर्मा बनाम खमान सिंह वर्मा

सम मुकदमा नं० ११२ RTI नं० २५४ सन् २०२५

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णता के अति के बिन्दु साबित होने के कारण प्रार्थना पर स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र २१२ RTI स्वीकार किया जाकर ताफेसला वाउ तक अपार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख. नं. १५०५ रकवा ०.०३०० हेक्टेयर, १५०६ रकवा ०.०१०० हेक्टेयर को गताम इब्राहिमपुर तहसील रूपवास जिला-भरतपुर में किसी प्रकार का कोई कच्चा-पक्का निर्माण नातो स्वयं करे और नाही किली के माध्यम से करे। प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में भद्राखलत मणहमड ना करे तथा।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज (or मयरी)	मय हुक्म मय
	<p>           49 मांके ही यथास्थिति बनारस रजो।            पत्रावली फौजल शुमार होकर            नम्बर ले कम हो मूल वाड के            साथ जुग हो।         </p> <p>    </p> <p> <i>(Faint handwritten text follows)</i> </p>	